भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3196

मंगलवार, 23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र का पुनरूत्थान करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

3196 डा. प्रकाश बांडा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन और अनलॉक संबंधी प्रतिबंधों के कारण पर्यटन और यात्रा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोविड-19 के कारण देश में विदेशी पर्यटकों की आमद बुरी तरह से प्रभावित हुई है और यदि हाँ, तो विदेशी मुद्रा के अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए कोई मुआवजा अथवा प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध करवाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के बंद होने से पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका पर क्रमिक प्रभाव पड़ा है। पर्यटन मंत्रालय ने "भारत तथा कोरोना महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां" विषय पर अध्ययन करने के लिए जनवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को नियुक्त किया है। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पर्यटन से जुड़े घरेलू क्षेत्रों जिन्हें औपचारिक तथा अनौपचारिक जैसे अनेक वर्गों में आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, की आय पर पर्यटन कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र-वार (अथवा उद्योग-वार) आकलन करना।
- पर्यटन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू क्षेत्रों की आय और रोजगार के क्षेत्र-वार तथा समग्र नुकसान का आकलन करना।
- घरेलू पर्यटन कार्यकलापों और पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों को क्रमिक रूप से खोले जाने के प्रभाव का आकलन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संभावित प्रभाव का आकलन करना।

- सामान्य रूप से पर्यटन क्षेत्र और विशेष रूप से पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से जुड़े परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित नीतिगत उपाय प्रस्तावित करना।

क्योंकि स्थिति में परिवर्तन अभी भी जारी है अतः अंतिम प्रभाव का आकलन समुचित समय पर ही किया जा सकेगा।

(ग): भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अनेक वित्तीय एवं राहत उपायों की घोषणा की है जिनका लाभ पर्यटन उद्योग को मिलने की आशा है। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है जिसके द्वारा एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कॉलेटरल फ्री ऑटोमेटिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। इस ऋण की अवधि 4 वर्ष की होगी तथा 12 माह की ऋण स्थगन अवधि होगी।
- सरकार ने उन संगठनों को तीन माह के पीएफ अंशदान में छूट दी है जिनमें 100 से कम पैक्स और 15000 से कम वेतन पाने वाले 90% कर्मचारी है।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के पीएफ अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यह उन सभी संस्थानों के लिए अगले 3 माह अर्थात सितंबर 2020 तक है जो ईपीएफओ द्वारा कवर होते हैं।
- अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का स्थगन
- 5 करोड़ रुपए तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना 3 माह तक रिटर्न फाइल करना स्थगित किया गया और शेष के लिए 9% के दंडात्मक ब्याज का प्रावधान किया गया है।
- केंद्र सरकार ने व्यवसाय की निरंतरता और बहाली सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के आलोक में आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं से अलग-अलग अवधि के लिए छूट भी दी है।
- आरबीआई ने आवधिक ऋणों पर ऋण स्थगन की अवधि 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी है।

****